न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :—हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:—285/21 दायर दिनांक:— 14.07.2021

जीसीएमएस नं. 2021/302

1. श्रीमती केशन्ती पत्नि श्रीमन पुत्री फूल्या आयु 70 साल जाति मीना निवासी सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली हाल निवासी मीना बडौदा तहसील बजीरपुर जिला स0 मा0 (राज0)

—सायल

बनाम

1. भंवर सिंह आयु 54 साल पुत्र फूल्या जाति मीना निवासी सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)
2. महाराज सिंह आयु 40 साल पुत्र फूल्या जाति मीना निवासी सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज0)

— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री मुरारी लाल करसौलिया अधिवक्ता सायल

2 गैरसायलान सं0 01 ता 02 के खिलाफ

एक पक्षीय कार्यवाही की गयी

निर्णय दिनांक:— 12.04.2024

यह कि सायला ने गैरसायलान एवं मूल वाद के प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 36 के विरूद्ध उपरोक्त उनवानी वाद—पत्र बावत् इन्द्राज दुरूस्ती घोषणा खातेदारी, तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय अदालत के समक्ष पेश कर दिया है, जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

मौजूदा आराजी खसरा नम्बर 730 रकवा 10 ऐयर, 731 रकवा 23 ऐयर, 732 रकवा 28 ऐयर, 733 रकवा 31 ऐयर, 734 रकवा 29 ऐयर, 735 रकवा 17 ऐयर, 736 रकवा 02 ऐयर, 737 रकवा 02 ऐयर, 738 रकवा 36 ऐयर, 739 रकवा 33 ऐयर, 740 रकवा 28 ऐयर, 749 रकवा 25 ऐयर, 750 रकवा 26 ऐयर, 752 रकवा 57 [illegible] रकवा 31 ऐयर, 755 रकवा 32 ऐयर, कुल किता 16 कुल रकवा [illegible] तहसील हिण्डौपन जिला करौली राज0 में स्थित है, जिसका [illegible] पुराना खाता संख्या 185 है, जिसमें सायला का पिता 1/4 भाग का हिस्सेदार खातेदार है।

खाता संख्या नया 6 व पुराना 6 के अनुसार आराजी ख्वासरा नं0 735 रकवा 09 [illegible] 736 रकवा 11 ऐयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.20 है0 वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 में स्थित है, जिसमें कि सायला का पिता 7/18 तथा 1/9

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Scanned with CamScanner

हिस्सेदार है, लेकिन जमाबंदी सेटिलमेंट द्वारा तरमीम करते समय मूल्या की जगह पर मूला पुत्र भूरे हो गया था जो कि गलत है, मूला पुत्र भूरे नाम का व्यक्ति गॉव में कोई नहीं है, इस प्रकार उक्त खाता में सायला के पिता के हिस्से की 10 ऐयर जमीन का हिस्सेदार खातेदार है, तथा उक्त खाता में मूला पुत्र भूरे के स्थान पर सही नाम फूल्या पुत्र भूरे दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

खाता संख्या नया 118 व पुराना 118 के अनुसार आराजीयात खसरा नं0 119 रकबा 23 ऐयरा, 741 रकबा 18 ऐयर, 743 रकबा 02 ऐयर, 782 रकबा 36 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान में स्थित है, जिसमें कि सायला का पिता फूल्या पुत्र भूरे खातेदार काश्तकार है।

खाता संख्या नया व पुराना 101 के अनुसार आराजीयात खसरा नं0 755 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 में स्थित है, जिसमें सायला का पिता फूल्या 2/15 भाग का खातेदार व हिस्सेदार है।

सायला के पिता फूल्या पुत्र भूरे मीना की दिनांक 05.01.2007 को मृत्यु हो चुकी है, एवं सायला की माता गुलबाई की भी दिनांक 18.09.2020 को मृत्यु हो चुकी है। इसलिए फूल्या के वारिस मृतक फूल्या पुत्र भूरे के कानूनी वारिसान है तथा उसके चल व अचल सम्पत्ति के उत्तराधिकारी है, तथा फूल्या के तर्के पर काबिज है, तथा मृतक फूल्या की सम्पत्ति पर वहैसियत खातेदार मालिक व कानूनी वारिस काबिज व दखील है। इस प्रकार सायला का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

गैरसायला नम्बर 1 व 2 बदमाश किस्म के व्यक्ति है, जो कि सायला के हिस्से की भूमि को जबर अपने नाम उतरवाना चाहते है, सायला को उसका हिस्सा नही देना चाहते है, जबकि सायला फूल्या पुत्र भूरे की पुत्री होने के कारण कानूनी रूप से वारिस है। दिनांक 18.06.2021 को सायला ने गैरसायलान नम्बर 1 व 2 से सायला के हिस्से की भूमि के लिये नामान्तरण खुलवाने के लिए कहा तो गैरसायलान नम्बर 1 व 2 नाराज हो गये और कहा कि तेरा उक्त आराजीयात में कोई किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं है और सायला को ललकार दुत्कार, फटकार कर यहां से भगा दिया। उक्त आराजीयात भूमि का बाबत यदि गैर सायला ने अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो गये तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, सायला ने गैरसायलान को काफी समझाया तथा गणमान्य लोगो से भी समझवाया लेकिन गैरसायलान खुद मानने को तैयार नहीं है। सायला को हुयी क्षति की पूर्ति किसी प्रकार से भी होना संभव नहीं हो सकेगा इस कारण यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है, यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायला के ही पक्ष में बनता है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार से पाबंद फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायलान सायला को आराजीयात मुतजिका मद न0 प्रार्थना पत्र खसरा न0 730, 731 ,732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 749, 750, 752, 754, 755 [illegible] 16 रकबा 4.10 है0 वाके ग्राम कांचरौली तह0 हिण्डौन एवम मद न0 3 प्रार्थना पत्र खसरा [illegible] 735, 736 कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तह0 हिण्डौन मद न0 4 प्रार्थना पत्र खसरा न0 119,741,743,782, कुला किता 4 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तह0 हिण्डौन तथा मद न0 5 प्रार्थना पत्र खसरा न0 755 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम सिकरौदा जट्ट तह0 हिण्डौन जिला करौली राज0 में वर्णित सायलां के हिस्से में कोई दखलअन्दाजी किसी प्रकार की नहीं करे, सायला को उसके हिस्से की आराजीयात को शांति पूर्वक कास्त करने देवे। गैरसायला व सायला को जबर बेदख ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

Scanned with CamScanner

करावे तथा गैरसायलान न0 1 व 2 ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे, जिससे हकूक सायला को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचती हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर असायल की तलवी करायी गई वाद तामील गैर सायल 1 ता 2 उपस्थित नहीं। गैरसायल नं0 01 ता 02 वावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 16.08.2021 द्वारा गैरसायल नं0 01 ता 02 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में सायल वकील की बहस सुनी गई सायल वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में सायल अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि संयुक्त खातेदारी की भूमि पर समस्त अंशधारी खातेदार पूर्णभूमि पर काबिज होते हैं तथा उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका की स्थिति ताफैसला बनाये रखें।

12/04/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:12:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner